बच्चे के लिए माँ की लड़ाई

पचीस साल की स्वाति एक कम आय पृष्ठभूमि से थी और उसने सिर्फ पाचवीं कक्षा तक पढाई की थी | वह एक चौल में रहती थी, उसकी शादी बहुत दहेज़ देकर की गई थी | शादी से पहले किये गए चर्चा और व्यवस्था के अनुसार, स्वाति को अपने पती के साथ एक सुखी विवाहित जीवन जीने की उम्मीद थी । हालांकि, शादी के कुछ दिनों बाद ही स्वाति के साथ घरेलू हिंसा होने लगी | उसकी सास लगातार दहेज़ की मांग करने लगी | कुछ समय बाद उसे पता चला की उसके पति का दूसरी औरत के साथ अवैवाहिक सम्बंध था | स्थिति बिगड़ती जा रही थी और एक साल के अंदर उसके पती और सास ने स्वाति को घर छोड़ने के लिए कहा |

शादी के ढाई साल में घरेलू हिंसा और लगातार घर से निकाल देने की धमकी, स्वाति की ज़िन्दगी का हिस्सा बन गई थी | उसे आशा थी की लड़के का जन्म होते ही स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ | २०१३ की दिवाली में, सास ने स्वाति को अपने दो साल के बच्चे को छोड़कर मायके जाने के लिए कहा लेकिन उसके लौटने पर उसे घर में प्रवेश करने नहीं दिया |

असहाय स्वाति ने अपने बेटे को पाने के बहुत प्रयास किये | स्वाति के अनेक संगठनो से मिलने और राज्यिक महिला आयोग के द्वारा उसके पती को भेजे गए कानूनी पत्र से भी उसे कोई मदद नहीं मिली | इन संगठनो का कहना था की ये उसका निजी, पारिवारिक मामला था और इसलिए, वे इसमें दखलंदाज़ी नहीं कर सकते और संयुक्त बैठकों में पति की उपस्थिति को लागू नहीं किया जा सकता | कुछ महीनों बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और देखरेख में स्वाति को अपने बेटे से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई। लेकिन एक साल बाद उसके पती और सास ने अचानक स्वाति का उसके बच्चे से मिलना पूरी तरह बंद कर दिया |

जब स्वाति को अपने पड़ोसी से यह पता चला की उसका बेटा बीमार है, तो स्वाति ने उस से मिलने की कोशिश की लेकिन उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया | हताश होकर स्वाति एक स्थ्यानीय संस्था से मिली जिन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए उसके पति के साथ संयुक्त बैठक करने की कोशिश की | जब उन्हें स्वाति के पति से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने स्वाति को पुलिस में शिकायत दर्ज करने में सहायता की |

एक महीने बाद, इस संस्था ने स्वाति को कानूनी मदद के लिए मजलिस से मिलवाया | जब वह मजलिस आई तो हमने देखा क वह अपने पति से बहुत भयभीत थी | हमारा पहला कदम उसे यह समझाना था की उसका अपने बेटे पे उतना ही हक़ है जितना उसके पती का | हैरानी की बात थी की

एक साल तक किसीने भी स्वाति को यह बात नहीं बताई के वह अपने बच्चे को अपने पास रख सकती है और उसे अपने पति के घर में रहने का अधिकार है | स्वाति को अपने बच्चे से मिलने में मजलिस ने उनकी बहुत मदद की | अपने बेटे से मिलकर स्वाति बहुत ख़ुशी थी |

उसकी सास ने उसके खिलाफ़ कोर्ट में मामला दर्ज करने की धमकी दी | उसके बाद हमने घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत स्वाति के पती और सास से उसकी सुरक्षा और बच्चे की कस्टडी के लिए मामला दर्ज किया | दो साल के बच्चे को लगभग एक साल तक अपने माँ के प्यार से वंचित देखकर कोर्ट ने स्वाति को अंतरिम कस्टडी दे दी |

प्रतिशोध में उसके पती ने अपने बेटे की कस्टडी के लिए परिवार न्यायालय में आवेदन किया और अंतरिम कस्टडी के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की | दोनों अदालतों ने उसके आवेदन को ख़ारिज किया और उसको अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी | इसके खिलाफ़ पती ने उच्च न्यायालय में अपील की, तब तक उसने अपने बेटे के प्रतिपालन के लिए कोई मदद नहीं की था | वह सिर्फ इस मामले को विलम्ब करने की कोशिश कर रहे थे | पती के कमाई के अनुसार उच्च न्यायालय ने बेटे के प्रतिपालन के लिए ७००० रूपये देने का आदेश दिया | स्वाति और उसका पति अभी आपसी सहमति से तलाक लेने की कोशिश कर रहे हैं |

इस लड़ाई से स्वाति आज एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला के रूप में उभर आई है , वह अब अपने अधिकारों के लिए आश्वस्त होके लड़ सकती है | मजलिस स्वाति की तरह कई महिलाओं के लिए आशा और समर्थन का एक स्तंभ साबित हो चूका है ।